



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(गव्य विकास निदेशालय)
बिहार, पटना



समग्र गव्य विकास योजना

(वित्तीय वर्ष 2024-25)

02 एवं 04 दुधारू मवेशी के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 75% अनुदान तथा अन्य सभी वर्गों के लिए 50% अनुदान एवं 15 तथा 20 दुधारू मवेशी के लिए सभी वर्गों हेतु 40% अनुदान की सुविधा।

ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों, बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए 2, 4, 15 एवं 20 दुधारू मवेशियों/हिफर का डेयरी इकाई स्थापित करने हेतु आवेदन देने का सुनहरा अवसर।

योजना के अवयव

क्र.	अवयव	लागत मूल्य (₹0 में)	विभागीय अनुदान की राशि (₹0 में)	
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति	अन्य सभी वर्गों के लिए
1	2 दुधारू मवेशी/हिफर	1,74,000/-	1,30,500/-	87,000/-
2	4 दुधारू मवेशी/हिफर	3,90,400/-	2,92,800/-	1,95,200/-
सभी वर्गों के लिए				
3	15 दुधारू मवेशी/हिफर	15,34,000/-	6,13,600/- (40%)	
4	20 दुधारू मवेशी/हिफर	20,22,000/-	8,08,800/- (40%)	

- योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन वेबसाईट dairy.bihar.gov.in पर भरे जायेंगे।
- योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन दिनांक 15.08.2024 से भरे जायेंगे।
- अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन के साथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, जमीन का रसीद, जाति प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक आदि अपलोड करना आवश्यक है। (विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से सम्पर्क करें।)

